दिनांक 28.01.2023 को सांगानेर खुली जेल,
जयपुर में आयोजित
"पतंगः एक उत्सव न्याय, स्वतंत्रता व सम्मान की राह में बढ़ते कदम"
के अवसर पर माननीय न्यायाधिपति श्री पंकज मित्थल,
मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्‌बोधन

1. श्रद्धेय माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कॉल जी,
2. श्रद्धेय माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिरूद्ध बोस जी,
3. श्रद्धेय माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रविन्द्र भट्‌ट जी,
न्यायाधीशगण, उच्चतम न्यायालय
4. श्रद्धेय माननीय न्यायमूर्ति श्री मदन बी. लोकुर जी,
पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय
5. राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण,
6 श्री भूपेन्द्र दक, महानिदेशक, कारागार, राजस्थान
7. राजस्थान के न्यायिक अधिकारीगण,
8. स्मिता चक्रवर्ती जी
9. Prison Aid + Action Research (PAAR) संस्था के प्रतिनिधिगण
10. स्वयं सेवी संस्थानों से पधारे प्रतिनिधिगण,
11. सांगानेर खुली जेल में निवासित सभी बन्धुवर
एवं उपस्थित देवियों और सज्जनों–

:::::::::::::::

1 मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज यह संगीतमय कार्यक्रम **''पतंग'' न्याय, स्वतंत्रता व सम्मान** के संदर्भ में आयोजित किया जा रहा है, जो कि खुली जेलों के बारे में पूरे भारत वर्ष में जागरूकता फैलाने का काम करेगा। आज के इस कार्यक्रम का उद्‌देश्य भारत में खुली जेलों को बढ़ावा देना है, साथ ही खुली जेलों में रहने वाले बंदियों व उनके परिजनों को समाज की मुख्य धारा में स्थापित करने का प्रयास करना है।

2 मैं नहीं जानता कि Open Prison अथवा खुली जेलों की व्यवस्था कहां से और कैसे प्रारम्भ हुई ? यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की ही परिकल्पना थी कि कैदियों के प्रति दण्डात्मक व्यवहार की बजाय मानवीयता समर्थित व्यवहार किया जाये। मैं समझता हूँ कि उनकी इस परिकल्पना को और उनकी इस विचारधारा को जनता के बीच पहुंचाने के लिए ही बॉलीवुड ने सन् 1957 में एक फिल्म **"दो आंखें बारह हाथ"** बनाई थी। इस फिल्म में भारत में खुली जेलों की अवधारणा को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। यह फिल्म मानवीय दृष्टिकोण को केन्द्र में रखते हुए और कैदियों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस फिल्म में एक युवा जेल वार्डन छह संगीन अपराधियों के पुनर्वास का कार्य करता है। वह उन्हें एक बंजर खेत में कड़ी मेहनत करवाता है। जेलर की इस नई सोच से प्रभावित होकर सभी अपराधियों का ह्रदय परिवर्तन होता है और वे सभी आदर्श नागरिक की तरह जीवन व्यतीत करने का संकल्प लेते हैं। इस फीचर फिल्म की ही तर्ज पर सन् 1970 के दशक में एक और फिल्म 'दुश्मन' बनाई गई।

3 **"भारतीय बनो और भारत बनाओ।"** यहीं एक छोटी सी सोच है जो आम नागरिकों और कैदियों सभी पर समानता से लागू होती है।

4 सन् 1952 में एक सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि जिन कैदियों ने सजा का एक भाग पूरा कर लिया है, उन्हें बाहरी वातारण में ले जाया जाना चाहिए और पास के स्थानीय क्षेत्रों में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहां जो वे कार्य करेंगे उसका उन्हें उचित पारिश्रमिक भी दिया जाना चाहिए।

5 भारत में खुली जेल की अवधारणा पर सबसे महत्वपूर्ण समिति 1958 की मुल्ला समिति मानी जाती है। 1905 में बंबई प्रेसिडेंसी में प्रथम खुली जेल स्थापित हुई, परन्तु वह 1910 में बंद कर दी गई।

6 इसके पश्चात् 1953 में उत्तर–प्रदेश राज्य के बनारस में चन्द्रप्रभा नदी पर बांध निर्मित करने के लिए खुला जेल शिविर बनाया गया और

कैदियों को इस निर्माण कार्य में काम करवाया गया। इस कार्य में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डा0 सम्पूर्णानन्द की अहम् भूमिका रही। 1960 के दशक में जब वे राजस्थान के राज्यपाल थे, तब उन्होंने सांगानेर में पहली खुली जेल स्थापित करवाई। डा0 सम्पूर्णानन्द के इस ऐतिहासिक कदम से इन खुली जेलों को *"सम्पूर्णानन्द शिविर"* के नाम से भी जाना जाता है।

7 भारत में सबसे अधिक खुली जेलें राजस्थान में संचालित हो रही है, जिनकी संख्या 41 है। यहां बंद जेलों से खुली जेलों में भेजे गये कैदियों की संख्या 1,367 हैं।

8 आज भारत में न केवल राजस्थान बल्कि अन्य प्रदेशों जैसे महाराष्ट्र में यर्वदा व सतारा खुली जेल आदि प्रमुख Open Prisons के रूप में कार्य कर रही हैं।

9 न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर ने हमेशा जेल सुधारों की वकालत की है जिसको उनके न्यायिक निर्णयों में भी देखा जा सकता है। उनके अनुसार अपराध एक विकृति है और कठोर सजा देना पुराने जमाने की रवायत है। ऐसी परिस्थितियां जिनमें व्यक्ति असामाजिक व्यवहार की ओर बढ़ता है उसे क्रूरता से नहीं बल्कि उसे समाज की मुख्य धारा में जोड़कर, बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए। दण्ड विधि का केन्द्र, व्यक्ति है, और इसका उद्देश्य उसे समाजोपयोगी बनाना है। अपराधियों को कम से कम निगरानी में रखकर उनकी सजा पूरी करवाई जाये और उन्हें बंद कोठरियों में ना रखा जाये, ऐसा उनका मानना था।

10 खुली जेल का तात्पर्य बिना दीवारों, सलाखों और तालों वाली जेलों से है, जिनका शिविर के रूप में संचालन किया जाता है। एक बडे से क्षेत्र में एक कृषि फार्म विकसित किया जाता है और इसी क्षेत्र में कैदियों को अपनी–अपनी झोंपडियां बनाकर अपने परिवारों के साथ रहने की अनुमति प्रदान की जाती है। खुली जेलें अधिकतर शहर के बाहर बनाई जाती है और इन्हें न्यूनतम स्टाफ के द्वारा संचालित किया जाता है।

इन जेलों का दोहरा लाभ है। एक तो यह कम खर्च में चलाई जाती हैं और दूसरा यह कि ये बंद जेलों का भार भी कम करती हैं। इस प्रकार की खुली जेलों का आधार आपसी विश्वास व आत्म–अनुशासन पर निर्भर करता है। ***"विश्वास से विश्वास बढता है"*** इस सिद्धान्त को अपनाने से अपराधियों में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। यह बदलाव ही Criminal Jurisprudence का मूल उद्देश्य भी है।

11 न्यायिक रूप से अगर देखा जाये तो सन् 1979 में सर्वोच्च न्यायालय ने **धर्मवीर बनाम उत्तरप्रदेश राज्य**[1] के मामले में आजीवन कारावास वाले दोषी व्यक्तियों को खुली जेल में रखने की टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्हें खुले शिविर में काम करने दिया जाये और उनके परिवार के सदस्यों को साल में एक बार उनसे मिलने व उनके साथ रहने की व्यवस्था की जाये और उन्हें साल में दो सप्ताह के लिए पैरोल पर अपने घर जाने व अपने परिवार के साथ रहने की स्वीकृति दी जानी चाहिए।

12 इसी प्रकार से 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने **राममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य**[2] के मामले में जेलों की अस्त–व्यस्तता को इंगित करते हुए और वहां पर आवश्यकता से अधिक कैदियों के कारण होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए Open Air Prisons की पुरजोर वकालत की है। न्यायालय का मानना है कि जो व्यक्ति बंद कमरों व सलाखों के पीछे रहते हैं, उनके भी मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

13 पांव एक जो शमशान में पडा
एक हड्डी से आवाज यों आयी
चलने वाले चल संभल के
हम भी कभी इंसान थे।

1. (1979) 3 SCC 645

2. (1997) 2 SCC 642

14 खुली जेलों का तात्पर्य यह नहीं कि हर प्रकार के कैदियों को खुली जेल में भेज देना चाहिए। खुली जेलों में किन कैदियों को भेजा जाए, किन परिस्थितियों में भेजा जाए और कितने समय के लिए भेजा जाए, इन सभी को निर्धारित करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था को अमल में लाना जरूरी है। मैं समझता हूं कुछ अपराधों में कुछ विशेष प्रकार के कैदियों को एक समय के पश्चात, जैसे कि एक तिहाई सजा अथवा आधी सजा बंद जेलों में गुजारने के बाद और उनकी उम्र, व्यवहार व स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए खुली जेलों में भेजा जा सकता है। खुली जेलों में आमतौर पर one time offenders को भेजना उचित होगा, बजाय कि Hardened Criminals को। इस व्यवस्था को बहुत ही सोच–समझकर क्रियान्वित करना होगा अन्यथा ऐसा न हो कि कैदियों के मन से सजा का भय पूरी तरह से खत्म हो जाए। सजा पाने वाला व्यक्ति एक आम नागरिक से कुछ मायनों में अलग होता है और अगर जेल में भी उसे हर प्रकार की सुख–सुविधाएं प्रदान कर दी जाएं तो दण्ड देने का अर्थ ही नहीं रहेगा।

15 इसमें कोई संदेह नहीं कि Prison Aid + Action Research (PAAR) संस्था ने कई राज्य सरकारों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से इस दिशा में कार्य किया है और देश के कई हिस्सों में खुली जेलों की स्थापना की सुविधा प्रदान की है जो निश्चित ही सराहनीय है। मैं आशा करता हूं भविष्य में भी यह संस्था इसी तरह से समाज कल्याण के कार्यों को जारी रखेगी।

16 मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी के साझा प्रयासों से खुली जेलों के द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उस दिशा में रचनात्मक कदम उठाये जायेंगे और इन खुली जेलों को स्थापित करने के पीछे जो उद्देश्य या अवधारणा रही है उसे हासिल किया जा सकेगा।

17 मैं न्यायमूर्तिगण जस्टिस कॉल, जस्टिस बोस, जस्टिस भट्ट, जस्टिस लोकुर व अपने साथी न्यायमूर्तिगणों का हृदय से आभारी हूं कि वे

समय निकालकर इस कार्यक्रम में पधारे और PAAR के हाथ मजबूत करते हुए ''Open Prison'' के कार्य के प्रचार–प्रसार में सहयोग दिया।

16 अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय न्याय व्यवस्था न्याय क्षेत्र में सुधार के प्रति हर पल समर्पित है। माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रेरणा से किये जाने वाले सुधार जिनमें खुली जेलें भी शामिल है, इस दिशा में एक विकासात्मक पहलू है। मैं खुली जेल में रहने वाले सभी बंदियों के बेहतर जीवन की कामना करता हूँ, साथ ही साथ यहां रहने वाले बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

धन्यवाद।

जय हिन्द।